समाचार

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 अक्टूबर को

(निगम के बकायादार आपसी राजीनामा से करा सकते हैं प्रकरणों का निराकरण)

कोरबा 06 अक्टूबर 2015 –जिला न्यायालय परिसर में 10 अक्टूबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। निगम के विभिन्न करों के बकायादार लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण करा सकते है।

नगर पालिक निगम कोरबा के प्रभारी आयुक्त श्री एम.के. वर्मा ने बताया कि 10 अक्टूबर 2015 को जिला न्यायालय परिसर कोरबा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें निगम के सम्पत्तिकर, जलकर एवं यूजर्स चार्जेस (स्वच्छता), अतिक्रमण, भवन निर्माण अनुमति से संबंधित कर बकायादारों के प्रकरण वसूली हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः समस्त सम्पत्तिकर, जलकर एवं यूजर्स चार्जेस (स्वच्छता), अतिक्रमण, भवन निर्माण अनुमति से संबंधित कर बकायादारों से अपील की जाती है कि जो पक्षकार आपसी राजीनामा के द्वारा प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, वे माननीय न्यायालय, लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना सम्पत्तिकर, जलकर एवं यूर्जस चार्जेस (स्वच्छता), अतिक्रमण, भवन निर्माण अनुमति से संबंधित कर बकाया संबंधी मामले राजीनामा करा कर बकाया राशि जमा करा सकते है।

संपादकव्यूरोचीफ.......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)